इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 सितम्बर 2013—आश्विन 2, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्र. बी-1-52-2011-2-पांच (21).—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 78 के साथ पठित धारा 8 एवं 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज (मध्यप्रदेश) रूल्स, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 37-घ में, खण्ड (तीन) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु वर्ष 2013-14 के लिये यह कालावधि नीमच, मन्दसौर और रतलाम जिले के लिए 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक होगी.".

यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्र. बी-1-52-2011-2-पांच (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. बी-1-52-2011-2-पांच (21), दिनांक 24 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 24th September 2013

No. B-1-52-2011-2-V(21).—In exercise of the powers conferred by Section 78 read with Section 8 and 10 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Madhya Pradesh) Rules, 1985, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 37-D, in clause (iii), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namaly:—

"Provided that for the year 2013-14 this period shall be from 1st April, 2013 to 31st March, 2014 for Neemuch, Mandsour and Ratlam Districts.".

This Notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.